

प्रेषक,

दशरथ राम

विशेष निदेशक (ग्रा० शि०)

सेवा में.

अध्यक्ष

केन्द्रीय गांधीगिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय : एन्जिल हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा रो प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कांगजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा एन्जिल हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा को रु० ३०० एस० ८० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय बाबर खान वॉल्यून्टरी, भीगो, दरभंगा के अधीन समालित है। इस दूरदृश्य में किसी विद्यालय का प्राप्ति नहीं है। जो विद्यालय भी इस दूरदृश्य में दृष्ट नहीं है। इस दूरदृश्य में किसी पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्वाचित सोराइटी/न्यास ने फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनिर्मित भवन में संचालित है, जहाँ ०१.५ एकड़ ६० डि० भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुरतकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय गांधीगिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आवासगृह सरकारी एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक ने अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवेदन नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता वर्ती गई हो। विद्यालय में २३ शिक्षक हैं। रु० ३०० एस० ८० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक विभाग द्वारा दी गई हो।
5. विद्यालय में छिन्नी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वापिक लखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन पूरिता द्वारा निर्धारित करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय आगे आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे हो। रु० ३०० एस० ८० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के दावा लिखित रूप से सामग्री की गयी है जिसे दिनांक ०३.०४.२००६ द्वारा दर्शाया गया है।

अपेक्षित शर्त के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में शमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोरा में निवास करने वाले परिवार के बीच का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दृश्यान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुरूपित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60.000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/केठी जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/राक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए प्रतिवेदन निर्धारित शमता से अधिक हो तो खले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/केठी० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापरा लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी रु० ८० एस० इ०, नई दिल्ली अपने रत्तर से जाँच तर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही वोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त रार्वजनिक चर्चा होगी तथा इसका एलेक्ट्रोनिक्स एवं वेबसार्फट में फरना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापरा ले लिया जायेगा तथा रामबद्ध रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक—46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस शर्त के साथ कि भविष्य में 2 एकड़ भूमि उपलब्ध करा लगे, एन्जिल हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा को रु० ८० य०० एस० इ०, नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासमाजन

(दसरा राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रापांक दिनांक

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को उनके पत्रांक 935 दिनांक 08.12.2010 के प्रसाग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रापांक 129 / दिनांक 04.02.11

प्रापांक 129 / दिनांक 04.02.11
एन्जिल हाई स्कूल भीगो/दरभंगा को संलग्न प्रापांक

20.02.2011